न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–50 / 2020

सावित्री उर्फ सरस्वती देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी भागीरथ जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी चक 11 पी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

–––प्रार्थी

बनाम्

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

–––––अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज. काश्त. अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–19.07.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 2 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–140 / 45 के किला नम्बर 7 / 2 की 0.190, 8,9,10 प्रत्येक सालम 13 / 1 का 0.126, 14,15 प्रत्येक सालम इस प्रकार कुल 0.581 हैक्टर वादीया एवं वादीया के पुत्र व पुत्रीयों के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वादीया का 1 / 5 हिस्सा है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त कृषि भूमि वादीया के पति भागीरथ पुत्र बीरबलराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी। वादीया के पति भागीरथ का देहांत दिनांक–20.02.2018 को हो चुका है जिनके देहान्त उपरांत उक्त कृषि भूमि वादीया व अन्य विधिक वारिसान को विरास्तन अधिकार पर प्राप्त होकर जरिये विरास्तन इंतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जिसमें वादीया का 1 / 5 हिस्सा है, जो निरन्तर वादीया के अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है। वादीया सह–खातेदार कृषक है। वादीया का सही व वास्तविक नाम सरस्वती देवी पत्नी भागीरथ है लेकिन उसका घरेलू नाम सावित्री होने के कारण वादीया को दोनों नामों सावित्री देवी व सरस्वती देवी के नाम से जानते व पुकारते थे। वादीया परिवार जो ग्रामीण परिवेश का था व वादीया भी ग्रामीण परिवेश की महिला थी वादीया के पति के देहान्त के उपरांत वादीया परिवार के सदस्य द्वारा वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाते समय वादीया का घरेलू नाम सावित्री देवी दर्ज करवाकर सावित्री देवी के नाम से वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाया तत्पश्चात वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर वादीया के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में विरास्तन इंतकाल सावित्रीदेवी के नाम से ही दर्ज हुआ जो कि एक सद्भाविक एवं मानवीय भूल है। वादीया के पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड व बैंक खाता जिनकी प्रतियां संलग्न वाद है, में वादीया का नाम सरस्वतीदेवी पत्नी भागीरथ दर्ज है। लेकिन वादीया का घर में वादीया को उसके घरेलू नाम सावित्री के नाम से पुकारते थे। इसलिए वारिस प्रमाणपत्र तैयार करवाते समय वारिस प्रमाण पत्र में वादीया का नाम सावित्री देवी ही है इस प्रकार सरस्वती देवी व सावित्री देवी वादीया का [illegible] नामों से ही जाना व पुकारा जाता है। वादीया जो कि ग्रामीण परिवेश की महिल[illegible] उसे कतई ज्ञान नहीं था अब वादीया उक्त कृषि भूमि पर ऋण की पत्[illegible] 10 दिन पूर्व पटवारी हल्का से मिली तो उन्होंने देखकर बत[illegible] देवी नही सावित्री देवी रिकॉर्ड दर्ज है, और उसे घर पर सावित्री बुलाते है ओर सरस्वती [illegible] व सावित्री देवी दोनों नाम मेरे ही है तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने के लिए माननीय न्यायालय में चारागोई करने के लिए कहा जिस पर वादीया तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ़ के समक्ष उपस्थित हुई तो उन्होंने कहा कि सक्षम न्यायालय में चारागोई करे बस यही बिनाय दावा एवं बिनाय मुखासमत वाद पत्र है। वादीया माननीय न्यायालय से घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी एवं दावेदार है फलस्वरूप वादीया को माननीय न्यायालय की शरण में आना पड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये राज पैरोकार राज. जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का निस्तारण करने हेतु तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है –

1. आया कि वादीया वाद पत्र मे दर्ज कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) सम्वत 2074–2077 में दर्ज वादीया के गलत नाम सावित्रीदेवी पत्नी भागीरथ का दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीया का सही व वास्तविक नाम सावित्री देवी उर्फ सरस्वती पत्नी भागीरथ घोषित फरमा कर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीया के दर्ज गलत नाम सावित्री देवी पत्नी भागीरथ को दुरूस्त कर उसके स्थान पर सही नाम सावित्रीदेवी उर्फ सरस्वतीदेवी पत्नी भागीरथ दर्ज किए जाने के आदेश प्रतिवादी को दिया जावें?

––वादीया

अनुतोष–

वादीया ने अपने हिस्से की तनकी संख्या 1 को साबित करने के लिये पीडब्ल्यू–1 एवं पीडब्ल्यू–2 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के तहत स्वयं एवं अपने पुत्र के शपथ पत्र पेश किये। अपने दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–2 ईंतकाल की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–3ए जन–आधार की प्रमणित प्रति, प्रदर्श–4ए मतदाता पहचान पत्र प्रति, प्रदर्श–5ए बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–6ए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–7ए मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रदर्श–8 ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र की प्रति पेश कर प्रदर्शित करवाये व अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा। जिस पर साक्ष्य वादी समाप्त की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर पत्रावली वास्ते बहस मुर्कर की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादीया द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में वादीया अपने साक्ष्यों से यह साबित करने में सफल रही है कि वादीया का नाम सावित्रीदेवी न होकर सरस्वतीदेवी है। अतः वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में वादीया का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 2 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–25 पत्थर सं.–140/45 के किला नम्बर 7/2 की 0.190, 8,9,10 प्रत्येक सालम 13/1 का 0.126, 14,15 प्रत्येक सालम इस प्रकार कुल 0.581 हैक्टर कृषि भूमि में वादीया का नाम सावित्रीदेवी पत्नी भागीरथ के स्थान पर सावित्रीदेवी उर्फ सरस्वती पत्नी भागीरथ का अंकन किया जावें। प्रतिवादी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से ... हो।

निर्णय आज दिनांक 19/07/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.08.08 16:32:20 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ